

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4, 1977/ज्यैष्ठ 14, 1899

No. 182] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4, 1977/JYAISTHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June 1977

G.S.R. 267(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by clauses 6, 7, 8 and 9 of the said Order shall be exercisable also by the Cane Commissioner (Director of Sugar), Tamil Nadu, and further directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Deptt of Food), No. G.S.R. 1127/Ess. Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966, namely—

In the said notification, after the words "the Director of Industries and Civil Supplies, Rajasthan, Jaipur," the words "the Cane Commissioner (Directorate of Sugar), Tamil Nadu" shall be inserted

[No. 4-9/74-SPY]

R. K. SHASTRI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 1977

सा० का० नि० 267 (अ)/आ० व०/ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि आदेश के खण्ड 6, 7, 8 और 9 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियाँ गन्ना आयुक्त (चीनी निदेशक), तमिलनाडु द्वारा भी प्रयो-
क्तव्य होंगी तथा यह और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1127, आ० व०/ईख, तारीख 16 जुलाई, 1966 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “राजस्थान उद्योग और नागरिक पूर्ति निदेशक, जयपुर”, शब्दों के पश्चात् “गन्ना आयुक्त (चीनी निदेशक), तमिल नाडु” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 4-9/74-एस० पी० बाई]

आर० के० शास्त्री, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977